भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
02.04.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 5153 का उत्तर

केरल के लिए नई रेलगाड़ियां

5153. श्री कोडिकुन्नील सुरेश:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की केरल के लिए और राज्य के भीतर नई रेल सेवाएं शुरू करने की कोई योजना है ताकि संपर्क में सुधार किया जा सके और यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित नई रेलगाड़ियों के मार्गों, फेरों और इनके शुरू होने की संभावित तारीख सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को केरल सरकार अथवा जन प्रतिनिधियों से अतिरिक्त रेल सेवाओं के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो उन पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) नई रेलगाड़ियां चलाने के लिए सहायता प्रदान करने हेतु केरल में दोहरीकरण, विद्युतीकरण और नई रेललाइन परियोजनाओं सहित रेल अवसंरचना को बढ़ाने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): रेलवे नेटवर्क राज्य की सीमाओं के आर-पार फैला होता है। तदनुसार, नेटवर्क की आवश्यकता के अनुसार ऐसी सीमाओं के आर-पार गाड़ियां चलाई जाती हैं। हालाँकि, 2022-23 और 2024-25 (फरवरी, 2025 तक) की अवधि के दौरान, केरल राज्य में स्थित विभिन्न स्टेशनों पर सेवा मुहैया कराने वाली 04 वंदे भारत गाड़ी सेवाओं (प्रारंभ/समापन आधार पर) सहित 10 नई गाड़ी सेवाएँ शुरू की गई हैं।

इसके अलावा, अन्य बातों के साथ-साथ नई रेल सेवाओं की शुरुआत के लिए अनुरोध/अभ्यावेदन प्राप्त होना एक सतत् और गतिशील प्रक्रिया है। इस प्रकार प्राप्त अनुरोधों/अभ्यावेदनों की जांच की जाती है और समय-समय पर व्यवहार्य और न्यायसंगत पाए जाने पर कार्रवाई की जाती है।

इसके अलावा, भारतीय रेल पर नई रेल सेवाओं की शुरुआत एक सतत् प्रक्रिया है जो यातायात औचित्य, परिचालन व्यवहार्यता, संसाधन उपलब्धता आदि के अध्यधीन है।

वर्तमान में, केरल राज्य में स्थित बड़ी लाईन नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण किया जा चुका है।

<u>रेल अवसंरचनाः</u>

रेल परियोजनाओं का सर्वेक्षण/स्वीकृति/निष्पादन राज्य-वार नहीं बल्कि क्षेत्रीय रेल-वार किया जाता है, क्योंकि रेल परियोजनाएं राज्यों की सीमाओं के आर-पार फैली हो सकती हैं। रेल परियोजनाओं को लाभप्रदता, यातायात अनुमान, अंतिम छोर संपर्कता, मिसिंग लिंक और वैकल्पिक मार्गों, संकुलित/संतृप्त लाइनों का संवर्धन, राज्य सरकारों, केन्द्रीय मंत्रालयों, संसद सदस्यों, अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई मांगों, रेलवे की अपनी परिचालनिक आवश्यकताओं, सामाजिक-आर्थिक महत्वों आदि के आधार पर स्वीकृत किया जाता है जो चालू परियोजनाओं के थ्रो-फॉरवर्ड और निधियों की समग्र उपलब्धता पर निर्भर करता है।

01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, केरल राज्य में पूर्णत:/अंशतः पड़ने वाली कुल 419 कि.मी. लंबाई वाली 12,350 करोड़ रुपए लागत की 08 परियोजनाएं (02 नई लाइनें और 06 दोहरीकरण) योजना निर्माण और क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं, जिनमें से मार्च, 2024 तक 26 कि.मी. लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और 3,046 करोड़ रु. का व्यय किया गया है। सारांश निम्नानुसार है:

कोटि	परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई (किमी में)	कमीशन की गई लंबाई (किमी में)	मार्च 2024 तक कुल व्यय (करोड़ रुपए में)
नई लाइन	2	146	0	304
दोहरीकरण/ मल्टीट्रैकिंग	6	273	26	2,742
कुल	8	419	26	3,046

केरल राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों के लिए बजट आबंटन निम्नानुसार हैः

अवधि	परिव्यय
2009-14	372 करोड़ रुपए/वर्ष
2025-26	3,042 करोड़ रुपए (8 गुना से अधिक)

केरल राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक परियोजनाओं का निष्पादन भूमि अधिग्रहण में विलंब के कारण रुका हुआ है। केरल राज्य में भूमि अधिग्रहण की स्थिति निम्नानुसार हैः

केरल में परियोजनाओं के लिए अपेक्षित कुल भूमि	476 हेक्टेयर
अधिगृहीत भूमि	66 हेक्टेयर (14%)
अधिग्रहण के लिए शेष भूमि	410 हेक्टेयर (86%)

भूमि अधिग्रहण कार्य में तेजी लाने के लिए केरल सरकार के सहयोग की आवश्यकता है।

भूमि अधिग्रहण के कारण विलंबित कुछ प्रमुख परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

केरल की प्रमुख परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण की स्थिति					
क्र. सं.	परियोजना का नाम	भूमि की संपूर्ण स्थिति (हेक्टेयर)			राज्य सरकार के पास जमा की गई राशि (करोड़ रुपए में)
		कुल अपेक्षित	कुल अधिगृहीत	कुल शेष	
1	त्रिवेंद्रम - कन्याकुमारी दोहरीकरण	40	33	7	1312
2	एर्णाकुलम - कुम्बलम दोहरीकरण	4	2	2	262
3	कुम्बलम - तुरवूर दोहरीकरण	10	6	4	248
4	अंगमाली - सबरीमाला नई लाइन	416	24	392	282

भारत सरकार परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए तैयार है, बहरहाल, इसकी सफलता केरल सरकार के सहयोग पर निर्भर करती है।

किसी भी रेल परियोजना का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के अधिकारियों द्वारा वन संबंधी स्वीकृति, लागत में भागीदारी वाली परियोजनाओं में राज्य सरकार द्वारा लागत का हिस्सा जमा करना, परियोजनाओं की प्राथमिकता, अतिलंघनकारी जन सुविधाओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक स्थितियां, परियोजना स्थल (स्थलों) के क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परिस्थितियों के कारण परियोजना स्थल विशेष के लिए वर्ष में कार्य करने के महीनों की संख्या आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है।

*****